

मुख्य पात्र मास्टर खाना दाम  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजना अन्तर्गत डाक व्यव को पूर्व  
अदायणी डाक द्वारा भेजे जाने के  
लिए अनुमति.

म. प्र. - 108-भोपाल/06-06.



## मध्यप्रदेश राजापन्ना (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 फरवरी 2008—माघ 25, शक 1929

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्र. एफ. 36-10-03-3-अड्डीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सम 2007) की धारा 43 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नानुसार अधिसूचना जारी करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 36 के तहत गठित होने वाले पूर्णकालिक विनियामक आयोग का गठन और उसे कार्यरत होने तक के लिए, आयोग के कार्य करने के लिये एतद्वारा, राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत करता है।

उक्त कार्य राज्य शासन द्वारा तब तक सम्पन्न किया जावेगा जब तक निवियामक आयोग का गठन विधिवत् रूप से नहीं हो जाता।

No. F. 36-ID-03-3-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by Section 43 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Ayam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government hereby makes the following notification, namely:—

The State Government hereby authorises the Higher Education Department, to perform the duties of the Commission, till the constitution of the whole time, State Regulatory Commission to be constituted under Section 36 of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Ayam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007).

The said duties of the Commission shall be performed by the Higher Education Department till, the constitution of the whole time State Regulatory Commission.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्नेहलता श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव,

मुख्य पोस्ट भारत अनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनातार्गत डाक व्यव को पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी, क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2009—आश्विन 16, शक 1931

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2009

क्र. आर. 691-सी.सी.-09.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 36 की उपधारा (1), (3) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, एक विनियामक आयोग स्थापित करती है, जिसमें निम्नलिखित सभापति (चेयरमेन) और सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (1) सभापति (चेयरमेन)
  - डा. अखिलेश कुमार पाण्डे
  - माइक्रो वायलार्जीकल रिरार्न लोगोरेटरी,
  - वायलार्जीकल साइंस विभाग,
  - गानी दुर्गानगी विश्वविद्यालय,
  - जबलपुर.
- (2) सदस्य पूर्णकालिक
  - (एक) सदस्य-शैक्षणिक
    - डा. व्ही. के. शुक्ला (प्राचार्य)
    - संयुक्त संचालक,
    - संचालनालय उच्च शिक्षा,
    - भोपाल.
  - (दो) सदस्य-प्रशासनिक
    - डा. के. जी. कल्ला
    - सेवानिवृत्त प्राप्ति,
    - खण्डवा.
- (3) सदस्य अंशकालिक
  - (एक) श्री सुनील सिंह
    - उप संचालक,
    - संचालनालय, नगरीय प्रशासन,
    - भोपाल.

- (दो) श्री समर बहादुर सिंह  
संयुक्त संचालक,  
संचालनालय, लोक शिक्षण,  
इंदौर.
- (4) सदस्य-सचिव-पूर्णकालिक  
डा. पी. के. खरे  
सेवा-निवृत्त, संयुक्त संचालक,  
पशु चिकित्सा सेवाएं  
भोपाल.

Bhopal, the 8th October 2009

No. R-691-CC-09—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and (4) of Section 36 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government hereby establish a Regulatory Commission consisting of the following Chairman and members, namely:—

- (1) CHAIRMAN  
Dr. Akhilesh Kumar Pandey  
Microbiological Research Laboratory,  
Biological Science Department  
Rani Durgawati Vishwavidyalaya,  
Jabalpur.
- (2) MEMBERS-FULL TIME  
(i) *Member-Academic*  
Dr. V. K. Shukla  
(Principal) Joint Director,  
Directorate of Higher Education,  
Bhopal.  
(ii) *Member-Administration*  
Dr. K. G. Kalla  
Rtd. Principal,  
Khandwa.
- (3) MEMBERS-PART TIME  
(i) Shri Sunil Singh  
Deputy Director,  
Directorate of Urban Administration,  
Bhopal.  
(ii) Shri Samar Bahadur Singh  
Joint Director,  
Directorate of Public Instruction  
Indore.
- (4) MEMBER SECRETARY-FULL TIME  
Dr. P. K. Khare  
Retd. Joint Director,  
Veterinary Services,  
Bhopal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेन्द्रसिंह रघुवंशी, उपसचिव.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनात्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

## मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 अप्रैल 2010—वैशाख 9, शक 1932

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 2777-170-इकीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

### मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 3 सन् 2010

### मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश, 2010.

“मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )” में दिनांक 29 अप्रैल 2010 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया।

भारत गणराज्य के इक्सठर्वे वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2007 को संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यतः राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण वह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम:

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश, 2010 है।

मध्यप्रदेश अधिनियम क्र मांक 17, सन् संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17, सन् 2007) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट रूप से संशोधन के अध्यावीन रहते हुए प्रभावी होगा।

किया जाना।

अनुसूची का 3. मूल अधिनियम की अनुसूची में, कालम (1) से (6) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां संशोधन स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक (1)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (2)	प्रायोजी निकाय का नाम (3)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (4)	मुख्य परिसर (5)	अधिकारिता (6)
“1. जेपी युनिवर्सिटी, ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, राघोगढ़, जिला गुना (म.प्र.).	जयप्रकाश सेवा संस्थान ट्रस्ट,	रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट)	जेपी युनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी परिसर, राघोगढ़ जिला गुना (म.प्र.)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.”.	

भोपाल :  
तारीख 26 अप्रैल, 2010.

रामेश्वर ठाकुर  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 2778-170-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 3, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE  
No. 3 OF 2010

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHYADESH, 2010.

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 29th April, 2010.

Promulgated by the Governor in the Sixty-first year of the Republic of India.

An ordinance to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now THEREFORE, In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following ordinance:—

- |  |   |
|--|---|
| 1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyas, 2010.   | Short title.  |
| 2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section 3. | Madhya Pradesh<br>Act No. 17 of 2007<br>to be temporarily<br>amended. |
| 3. In the Schedule to the principal Act, in column (1) to (6), the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—  | Amendment of<br>Schedule.   |

Serial No.	Name of private university	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“I.	Jaypee University of Engineering and Technology, Raghogarh, District Guna (M.P.).	Jayprakash Seva Sansthan Trust, New Delhi	Registered Public Trust	Jaypee University of Engineering and Technology Campus Raghogarh, District Guna (M.P.)	Whole of Madhya Pradesh.”

Bhopal :

Dated the 28th April, 2010

RAMESHWAR THAKUR  
Governor,  
Madhya Pradesh.

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011—श्रावण 4, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2011

क्र. आर 347-सीसी-10-अड्डीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 34 की उपधारा (1), (3) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-691-सीसी-09, दिनांक 8 अक्टूबर, 2009 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक (4) में, शब्द "सदस्य-सचिव पूर्णकालिक" के स्थान पर, शब्द "सचिव-पूर्णकालिक" स्थापित किए जाएँ।

R-347-CC-10-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and (4) of Section 34 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) the State Government, hereby makes the following amendments in this department's Notification No. R-691-CC-09, dated 8th October, 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 8th October, 2009, namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification in serial number (4), for the words "Meber Secretary-Full Time" the words "Secretary-Full Time" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बंसत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव।

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2011—पौष 10, शक 1933

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्र. 7669-462-इकीस-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 को अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४४ सन् २०११

### मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, २०११

[दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन संक्षिप्त नाम अधिनियम, २०११ है।

## अनुसूची का संशोधन

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय को स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"८.	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर.	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, एन.एच.-२६, ग्राम सिरोंजा, सागर (मध्यप्रदेश).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
९.	एकेएस विश्वविद्यालय, सतना.	एकेएस पूर्त न्यास, सतना.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	एकेएस विश्वविद्यालय, शेरगंज, पन्ना रोड, सतना (मध्यप्रदेश).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश".

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्र. 7670-462-इकोस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

**MADHYA PRADESH ACT**  
**No. 44 OF 2011.**

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)  
TRITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2011.**

[Received the assent of the Governor on the 27th December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st December, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Tritiya Sanshodhan Adhiniyam, 2011.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

Amendment of  
Schedule.

S. No. (1)	Name of private University (2)	Name of sponsoring body (3)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main Campus (5)	Jurisdiction (6)
"8.	Swami Vivekanand University Sagar.	Prakhar Pragya Shiksha Prasar Avam Samaj Kalyan Samiti, Sagar.	Registered Society under the M. P. Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Swami Vivekanand University NH-26, Gram Sironja, Sagar (M. P.)	Whole of Madhya Pradesh
9.	AKS University Satna.	AKS Charitable Trust, Satna.	Registered Public Trust under the M.P. Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	AKS University Sherganj, Panna Road, Satna (M. P.).	Whole of Madhya Pradesh..."

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2011—भाद्र 2, शक 1933

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. 5137-295-21-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 अगस्त, 2011 को महाप्रहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण को जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३१ सन् २०११

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०११

[दिनांक 17 अगस्त, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 24 अगस्त, 2011 को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०११ है।

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ६ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"७.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय.	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय, आर.जी. पी.व्ही. परिसर के पास, एयरपोर्ट बायपास रोड, भोपाल (म. प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश".

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. 5138-295-इकीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2011 (क्रमांक 31 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

**MADHYA PRADESH ACT  
No. 31 OF 2011.**

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)  
DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2011.**

[Received the assent of the Governor on the 17th August, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th August, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2011.   | Short title            |
| 2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :— | Amendment of Schedule. |

S. No. (1)	Name of private University (2)	Name of sponsoring body (3)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main Campus (5)	Jurisdiction (6)
"7.	Ram Krishna Dharmarth Foundation University.	Ayushamati Education and Social Society, Bhopal.	Registered Society under the M. P. Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Ram Krishna Dharmarth Foundation University, Near R. G. P. V. Campus, Airport Bypass Road, Bhopal (M. P.).	Whole of Madhya Pradesh".

इसे वेबसाइट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 मई 2011—वैषाख 14, शक 1933

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

क्र. 2774-172-इकीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०११

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०११

[दिनांक २१ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल को अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ४ मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठर्वे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०११ है।

अनुसूची का संशोधन

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"४.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर.	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय सांवर रोड, रेवती रेंज के सामने, जख्या, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल.	सार्वजनिक जनकल्याण पारमार्थिक न्यास, भोपाल.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, पीपुल्स ग्रुप, बाय-पास रोड, भानपुर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
६.	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	समता लोक संस्थान ट्रस्ट ग्वालियर.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधि- नियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, परिसर, एन.एच.७५ झांसी रोड, सिंधौली ग्वालियर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

क्र. 2775-172-इक्कीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव,

## MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2011

## THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 29th April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 4th May, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2011. Short title.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :— Amendment of Schedule.

Serial No.	Name of Private University (1)	Name of Sponsoring body (2)	Mode of forming Sponsoring body (3)	Main campus (4)	Jurisdiction (5)
"4.	Oriental University, Indore.	Devi Shakuntala Thakral Charitable Foundation, Bhopal.	Registered Society under the M.P.Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Oriental University Sanwer Road, Opposite Rewati Range, Jakhya, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.
5.	People's University, Bhopal.	Sarvjanik Jankalyan Parmarthik Nyas, Bhopal.	Registered Public Trust under the M. P. Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	People's University, People's Group, By-pass Road, Bhanpur, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
6.	ITM University, Gwalior	Samta Lok Sansthan Trust, Gwalior	Registered Society under the M.P. Society Registrikaran adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	ITM University, Campus, NH-75, Jhansi Road, Sindhuli, Gwalior (M.P.)	Whole of Madhya Pradesh."

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 696 ]

भोपाल, मुरुवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2010—पौष 9, शक 1932

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 7692-406-इकोस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 को  
महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०१०

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१०

“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ३० दिसंबर, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१० है।

अनुसूची का २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“२. आईसेक्ट विश्वविद्यालय	आल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २१ सन् १९८०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, ग्राम-मेहदुआ, भोपाल- चिकलोद रोड, तहसील- गौहरगंज, जिला-रायसेन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	सम्पूर्ण ग्राम-मेहदुआ, भोपाल- चिकलोद रोड, तहसील- गौहरगंज, जिला-रायसेन सम्पूर्ण
३. एमिटी विश्वविद्यालय	रित्तनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० <sup>१</sup> (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक २१ सन् १८६०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर (म.प्र.).	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर (म.प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश <sup>२</sup>

भोपाल, दिनांक 30 दिसंबर 2010

क्र. 7693-406-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2010 (क्रमांक २७ सन् २०१०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव।

**MADHYA PRADESH ACT**  
**No. 27 OF 2010.**

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)  
DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2010.**

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th December, 2010.

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2010.

**Short title.**

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 1 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

**Amendment of Schedule.**

Serial No.	Name of Private University	Name of Sponsoring body	Mode of forming Sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2.	AISECT University	All India Society for Electronics and Computer Technology, Bhopal.	Registered Society under the M.P. Society Registrikan Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	AISECT University Village-Mehdua, Bhopal-Chiklod Road, Tehsil Goharganj District Raisen (M.P.).	Whole of Madhya Pradesh
3.	Amity University	Ritnand Balved Education Foundation, New Delhi	Registered Society under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860)	Amity University Maharajpura Dang, Gwalior, (M.P.)	Whole of Madhya Pradesh".

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यव्य को पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 अप्रैल 2010—वैशाख 9, शक 1932

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 2777-170-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

#### मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 3 सन् 2010

#### मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश, 2010.

“मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )” में दिनांक 29 अप्रैल 2010 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया।

भारत गणराज्य के इक्सठर्वे वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2007 को संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यह: राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

- संक्षिप्त नाम 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश, 2010 है।

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक 17, सन् संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17, सन् 2007) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट रूप से संशोधित किया जाना।

इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं 2007 का अस्थायी है), धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा।

अनुसूची का संशोधन.  
स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

3. मूल अधिनियम की अनुसूची में, कालम (1) से (6) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ

अनु- क्रमांक (1)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (2)	प्रायोजी निकाय का नाम (3)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (4)	मुख्य परिसर (5)	अधिकारिता (6)
"1.	जेपी युनिवर्सिटी, ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, राघोगढ़, जिला गुना (म.प्र.).	जयप्रकाश सेवा संस्थान ट्रस्ट, नई दिल्ली	रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट)	जेपी युनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी परिसर, राघोगढ़ जिला गुना (म.प्र.)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।"

भोपाल :  
तारीख 28 अप्रैल, 2010.

रामेश्वर ठाकुर  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 2778-170-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 3, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव।

#### MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 3 OF 2010

#### THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHYADESH, 2010.

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 29th April, 2010.

Promulgated by the Governor in the Sixty-first year of the Republic of India.

An ordinance to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now THEREFORE, In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following ordinance:—

- |  |   |
|--|---|
| 1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesha, 2010.   | Short title.  |
| 2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section 3. | Madhya Pradesh<br>Act No. 17 of 2007<br>to be temporarily<br>amended. |
| 3. In the Schedule to the principal Act, in column (1) to (6), the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—  | Amendment of<br>Schedule.   |

Serial No.	Name of private university	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“1.	Jaypee University of Engineering and Technology, Raghogarh, District Guna (M.P.).	Jayprakash Seva Sansthan Trust, New Delhi	Registered Public Trust	Jaypee University of Engineering and Technology Campus Raghogarh, District Guna (M.P.)	Whole of Madhya Pradesh.”

Bhopal :  
Dated the 28th April, 2010

RAMESHWAR THAKUR  
Governor,  
Madhya Pradesh.

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 14]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934

---

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 175-14-इक्कीस-अ(ग्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 जनवरी 2013 को महाप्रहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव।

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१३

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१२.

[दिनांक ७ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ९ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१२ है।

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ९ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"१०.	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला विदिशा.	टेक्नो इंडिया ट्रस्ट, कोलकाता.	भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश."

निरसन तथा व्यावृत्ति. ३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक ४ सन् २०१२) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 176-14-इकाई-अ(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ७ सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2013

## THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 7th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th January, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2012. Short title.
2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :— Amendment of Schedule.

S. No. (1)	Name of Private University (2)	Name of Sponsoring body (3)	Mode of forming Sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
"10.	Techno Global University, Sironj, District Vidisha.	Techno India, Trust, Kolkata.	Public Trust Registered under the Indian Trusts Act, 1882 (No. 2 of 1882).	Techno Global University Sironj, District Vidisha (M. P.).	Whole of Madhya Pradesh".

3. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesha, 2012 (No. 4 of 2012) is hereby repealed. Repeal and saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# **मध्यप्रदेश राजपत्र**

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2013—वैशाख 4, शक 1935

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 2394-141-इवकीस-अ (प्रा.)/अधि..—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को महामहिम राज्यपाल को अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१३

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१३

[दिनांक १६ अप्रैल, २०१३ को गण्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २४ अप्रैल २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-पंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१३ है।

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"११.	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, भोपाल.	जागरण सोशल वेलफेर, सोसाइटी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत, मुगालिया छाप, तहसील हुजूर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।"

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 2395-141-इकीस-अ (प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद गण्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के गण्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव।

## MADHYA PRADESH ACT

No. 22 OF 2013

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)  
SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013.

[Received the assent of Governor on the 16th April, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th April, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2013. Short title.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :— Amendment of Schedule.

S. No.	Name of Private University	Name of Sponsoring body	Mode of forming Sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"11.	Jagran Lakecity University, Bhopal	Jagran Social Welfare Society, Bhopal	Society Registered under the M. P. Society Registrikan Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Jagran Lakecity University, Gram Panchayat Mugaliya Chhap, Tehsil Huzur, Bhopal	Whole of Madhya Pradesh."

इसे वेबसाईट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जनवरी 2015—पौष 18, शक 1936

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. 172-7-इककीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 जनवरी 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१५

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१४

[दिनांक ६ जनवरी, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ८ जनवरी, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैसठर्वे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१४ है।

धारा ७ का संशोधन।

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ७ में, उपधारा (२) में, परन्तु के में—

(एक) शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" स्थापित किए जाएं।

(दो) अंत में, शब्द "और राज्य सरकार, विनियामक आयोग की सिफारिश पर वैधता की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक के लिये बढ़ा सकेगी" जोड़े जाएं।

अनुसूची का संशोधन।

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १२ और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
"१३.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल।	आर.के.डी.एफ. एजुकेशन सोसायटी, २०२ गांगा-जपुना, काम्पलेक्स, जोन-१, एम. पी. नगर, भोपाल।	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, एन. एच. १२, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१४.	एल एन सी टी विश्वविद्यालय, भोपाल।	एच. के. कल्चुरी एज्युकेशन ट्रस्ट, ३१-श्यामला हिल्स, भारत भवन रोड, भोपाल।	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास।	एल एन सी टी विश्वविद्यालय, जे. के. टाऊन, सर्वधर्म सी-सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१५.	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर।	श्री वैष्णव विद्यापीठ ट्रस्ट श्री वैष्णव विद्या परिसर, १७७-जवाहर मार्ग, साउथ रुज मोहल्ला, इंदौर।	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास।	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, ग्राम बांरोली, सांवेर रोड, इंदौर।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।"

४. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक २ सन् २०१४) निरसनतथा व्यावृत्ति. तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(२) उक्त अध्यादेशों के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. 173-7-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2014 (क्रमांक ४ सन् २०१५) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव।

#### MADHYA PRADESH ACT

No.4 OF 2015

#### THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2014.

[Received the assent of the Governor on the 6th January, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 8th January, 2015.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2014. Short title.

2. In Section 7 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (2), in the proviso,—

Amendment of  
Section 7.

(i) for the words "one year", the words "two years" shall be substituted;

(ii) at the end, the words "and the State Government may, on the recommendation of the Regulatory Commission, extend the period of validity not exceeding one year" shall be added.

Amendment of  
Schedule.

3. In the Schedule to the principal Act, after serial number 12 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S. No. (1)	Name of Private University (2)	Name of Sponsoring body (3)	Mode of forming Sponsoring body (4)	Main Campus (5)	Jurisdiction (6)
“13.	Sarvepalli Radhakrishnan University, Bhopal.	R.K.D.F. Education Society, 2002 Ganga-Jamuna Complex, Zone-I M.P. Nagar, Bhopal.	Society registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Sarvepalli Radhakrishnan University, NH-12, Hoshangabad Road, Jatkchedi, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
14.	LNCT University, Bhopal.	H.K. Kalchuri Education Trust, 31-Shyamla Hills, Bharat Bhawan Road, Bhopal.	Public Trust Registered under the M.P. Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	LNCT University, J.K. Town, Sarvadham C-Sector, Kolar Road Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
15.	Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore.	Shri Vaishnav Vidyapeeth Trust, Shri Vaishnav Vidya Parisar, 177, Jawahar Marg, South Raj Mohalla, Indore.	Public Trust Registered under the M.P. Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Univeristy Campus- Gram Baroli, Sanvar Road, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.”.

Repeal  
saving  
and

4. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyades, 2014 (No. 2 of 2014) and the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhyades, 2014 (No. 3 of 2014) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinances, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 मई 2015—वैशाख 17, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2015

क्र. आर-338-सीसी-14-अड़ीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 36 की उपधारा (1), (3), (4) एवं (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को निमानुसार पुराणित करती है, अर्थात्:—

- (1) सभापति (चेयरमेन)
 

डॉ. ए. के. पाण्डे,  
निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,  
ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, भोपाल.
- (2) सदस्य पूर्णकालिक
  - (क) सदस्य—शैक्षणिक
 

श्रीमती चित्रलेखा चौहान,  
1240 समर्पण, सहयोग बिल्डिंग के निकट,  
नर्मदा रोड, ग्वारीधाट, जबलपुर.
  - (ख) सदस्य—प्रशासनिक
 

श्री स्वराज पुरी,  
ई-9, एच-1, चार इमली, भोपाल.
- (3) सदस्य अंशकालिक
  - (क) श्रीमती नयनतारा पाठक,
 

डी-10, सीनियर एम.आई.जी., वी.डी.ए. कॉलोनी,  
कोहफिजा, भोपाल.

- (छ) प्रोफेसर व्ही. पी. सिंह,  
ई-17, सीनियर एम.आई.जी., बी.डी.ए. कॉलोनी,  
कोहेफिजा, भोपाल.
- (4) सचिव-पूर्णकालिक  
श्री सुरेश गुप्ता,  
5, राजकमल विला, अल्कापुरी कॉलोनी, न्यू हाईकोर्ट के पास,  
ओहदपुर, मुरार, ग्वालियर.

No. R-338-CC-14-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3), (4) and (8) of Section 36 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government, hereby reconstitutes Private University Regulatory Commission consisting of the following namely:—

- (1) CHAIRMAN  
Dr. A. K. Pandey,  
M. P. Private University Regulatory Commission,  
Gyan Vatika, Walmi Road, Bhopal.
- (2) MEMBERS-FULL TIME  
 (a) Member—Academic  
Smt. Chitralekha Chouhan  
1240, Samarpan, Near Sahayog Building,  
Narmada Road, Gwarighat, Jabalpur.  
 (b) Member—Administration  
Shri Swaraj Puri,  
E-9, H-1, Char Imli, Bhopal.
- (3) MEMBERS-PART TIME  
 (a) Smt. Nayantara Pathak,  
D-10, Sr. MIG, BDA Colony, Koh-e-Fiza, Bhopal.  
 (b) Prof. V. P. Singh,  
E-17, Sr. MIG, BDA Colony, Koh-e-Fiza, Bhopal.
- (4) SECRETARY-FULL TIME  
Shri Suresh Gupta,  
5-Rajkamal Vila, Alkapuri Colony, Near High Court,  
Ohadpur, Morar, Gwalior.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. विजय, उपसचिव.

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2015—श्रावण 6, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2015

क्र. 617-338-सीसी-14-अडीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 36 की उपधारा (1), (3), (4) एवं (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पुनर्गठन मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 6 मई 2015 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत, किया गया था, उक्त अधिसूचना को पुनर्गठित करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है:—

1. अंशकालिक सदस्य—प्रो. व्ही. पी. सिंह के स्थान पर श्री गोकुल प्रसाद पटवा, C/o श्री बी. पी. दीप, 17/628, सरस्वती नगर, जवाहर चौक, भोपाल.
2. पूर्णकालिक सचिव—श्री सुरेश गुप्ता के स्थान पर डॉ. आभा स्वरूप, कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर, नेहरू नगर, भोपाल.

No. R 617-338-CC-14-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3), (4) and (8) of Section 36 of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government, hereby reconstitutes Private University Regulatory Commission consisting of the Following namely:—

1. Member—Part Time—Shri Gokul Prasad Patwa, C/o Shri B. P. Deep, 17/628, Saraswati Nagar, Jawahar Chowk, Bhopal in place of Dr. V. P. Singh.
2. Secretary—Full Time—Dr. Abha Swarup, Project Director, Madhya Pradesh Council of Science & Technology, Vigyan Bhavan, Nehru Nagar, Bhopal in place of Shri Suresh Gupta.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. विजय, उपसचिव.

मान्यता प्राप्ति क्रमांक 617 द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2015

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१६

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१५

[दिनांक १ जनवरी, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ४ जनवरी, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम:** १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१५ है।

**अनुसूची का संशोधन:** २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"१९.	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर.	आयुष्मति एन्जुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, २०२ गंगा-जमुना काम्पलेक्स, जोन-१, एम.पी. नगर, भोपाल	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर- देवास बायपास रोड, ग्राम अरण्डिया, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२०.	मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर.	मयंक्स वेलफेयर सोसायटी १०४ त्रिशूल अपार्टमेंट ५, सांघी कॉलोनी, ए. बी. रोड, इन्दौर	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	मालवांचल विश्वविद्यालय, एनएच-५९-ए, नेमावर रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्र. 219-6-इकीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. I OF 2016

## THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2015.

[Received the assent of the Governor on the 1<sup>st</sup> January, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4<sup>th</sup> January, 2016.]

## An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2015. Short title.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 18 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :— Amendment of Schedule.

S. No.	Name of private university	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore.	A y u s h m a t i Education and Social Society, 202, Ganga Zamuna Complex, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal.	Registered under the Madhya Pradesh Society Registrikan Adhiniyam, 1973.	Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore-Dewas By-pass Road, Village Arandia, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.
20.	Malwanchal University, Indore.	Mayank's Welfare Society, 104, Trishul Apartment, 5, Sanghi Colony, A.B. Road, Indore.	Registered under the Madhya Pradesh Society Registrikan Adhiniyam, 1973.	Malwanchal University, NH- 59-A, Nemawer Road, Indore.	Whole of Madhya Pradesh."

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई 2016—आषाढ़ 30, शक 1938

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्र. 12094-194-इकीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव,

## MADHYA PRADESH BILL

No. 13 OF 2016

## THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2016

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

## Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2016.

## Amendment of Schedule:

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) after serial number 20 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

S. No.	Name of Private University (1)	Name of sponsoring body (2)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
21.	G. H. Raisoni University	GHR Sons Educational and Medical Research Foundation, 345, Shradha House, Kingsway, Nagpur	Company Registered Under Section 25 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956)	G. H. Raisoni University, Mouza Gram Dhodhaborgaon, Village Saikheda, Tehsil Saunsar, District Chhindwara	Whole of Madhya Pradesh
22.	D. C. University, Indore	Daly College Society, 1, Residency Area, Indore	Registered under the Madhya Pradesh Societies Registrarkaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	D. C. University, 1, Residency Area, Indore	Whole of Madhya Pradesh
23.	Symbiosis University of Applied Sciences, Indore	Symbiosis Foundation, New Delhi	Registered Society Under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860)	Symbiosis University, of Applied Sciences, Bada Bangadda, Tahsil-Hatod, Indore	Whole of Madhya Pradesh

## Repeal and Saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesha, 2016 (No. 2 of 2016) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have done or taken under the corresponding provisions of this Act.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Section 5 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), it is provided that the Regulatory Commission constituted under the Act shall evaluate the proposal of establishment of Private University in the State. In the light of the said provision, the Regulatory Commission has recommended to establish the Private Universities, namely, G. H. Raisoni University, District Chhindwara, D. C. University, Indore and Symbiosis University of Applied Sciences, Indore. In the light of Section 6 of the said Act, the State Government have issued the letter of intent to the sponsoring bodies of the said Universities, with regard to the establishment of the said Universities, Section 9 of the said Act provides that after being satisfied on considering the report submitted by the Regulatory Commission, Private University shall be established by incorporating the name and description thereof in the Schedule to the said Act.

2. As the matter was urgent and the Madhya Pradesh Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Ayam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesha, 2016 (No. 2 of 2016) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the Said Ordinance by an Act of State Legislature without any modification.

2. Hence this Bill.

Bhopal :  
Dated, the 16th July, 2016.

JAIBHAN SINGH PAWAIYA  
*Member-in-Charge.*

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जनवरी 2017—पौष 22, शक 1938

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. 723-9-इकोस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2017 को  
राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव,

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१७

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक ८ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ जनवरी, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़स्टवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, २०१६ है।

अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक २३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
"२४. अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन	महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, १२४, एम्स सर्विसमेन कॉलोनी, पाउड रोड, कोथरुड, पुणे।	बाप्ते पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५० (बाप्ते अधिनियम, क्रमांक २९ सन् १९५०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक ट्रस्ट।	अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम्, (बाप्ते अधिनियम, क्रमांक २९ सन् १९५०) तहसील एवं जिला ग्राम लेकोडा, तहसील एवं जिला उज्जैन।	अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम्, ग्राम लेकोडा, तहसील एवं जिला उज्जैन।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. ९-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 2016 (क्रमांक ५ सन् २०१७) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

**MADHYA PRADESH ACT**  
**No. 5 OF 2017**

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWA VIDYALAYA (STHAPANA AVAM  
SANCHALAN) TRITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2016.**

[Received the assent of the Governor on the 8<sup>th</sup> January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12<sup>th</sup> January, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan ) Tritiya Sanshodhan Adhiniyam, 2016. Short title.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidhyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 23 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :— Amendment of Schedule.

S.No. (1)	Name of private University (2)	Name of Sponsoring body (3)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
"24.	Avantika University, Ujjain.	Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research, 124, Ex- Servicemen Colony, Paud Road, Kothrud, Pune.	Public Trust registered under the Bombay Public Trust Act, 1950 ( Bombay Act No. 29 of 1950 ).	Avantika University, Vishvanathpuram, Gram Lekoda, Tehsil and District Ujjain.	Whole of Madhya Pradesh".

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 मार्च 2017—फाल्गुन 15, शक 1938

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2017

क्र. 309-52-सी.सी-17-अड्टीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्र. 17 सन् 2007) की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त नियमों में, उपांध-क में खण्ड (03) में अंक "03" अंक के स्थान पर "05" स्थापित किया जाए।

No. 309-R-52-CC-17-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Rules, 2008, namely:—

## AMENDMENT

In the said Rules, in Annexure-A in clause (03), for the figure "03" the figure "05" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री मिश्रा, अपर सचिव,

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2017—भाग 2, शंक 1939

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र. 13943-193-इकीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 अगस्त 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् २०१७

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक १८ अगस्त, २०१७ को गव्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ अगस्त, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१७ है।

अनुसूची का २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक २ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"२.	रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय	आल इण्डिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अंधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, ग्राम मेंटुआ, भोपाल- चिकलौद रोड, तहसील-गौहरांज, जिला रायसेन (म.प्र.)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(दो) अनुक्रमांक २२ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों (डॉ. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर के संबंध में) का लोप किया जाए;

(तीन) अनुक्रमांक २४ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"२५.	वी आई टी भोपाल विश्वविद्यालय, सीहोर	वी आई टी ट्रस्ट, २६ मूसा स्ट्रीट, टी. नगर, चैन्डू तमिलनाडु	२०-१२-२०१२ को निष्पादित ट्रस्ट विलेख के अधीन सुजित तथा टी. नगर, चैन्डू, तमिलनाडु में क्रमांक ६५४/२०१२ के रूप में रजिस्ट्रीकृत वी आई टी ट्रस्ट	वी आई टी भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल- इन्दौर राष्ट्रीय राजमार्ग, कोठरी कलां, सीहोर— ४६६११४	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
२६.	सेज विश्वविद्यालय, इन्दौर	टूबा एजुकेशन सोसाइटी, २५०, सागर प्लाजा, जोन-२, एम.पी. नगर, भोपाल	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	सेज विश्वविद्यालय, कैलोद करताल, इन्दौर-देवास बायपास, राऊ, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२७.	रेनेसा विश्वविद्यालय, इन्दौर	कौटिल्य चन्द्रगुप्त एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम रिओती, सांवर रोड, श्री अरविंदो हास्पिटल के पीछे, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	रेनेसा विश्वविद्यालय, ग्राम रिओती, सांवर रोड, श्री अरविंदो हास्पिटल के पीछे इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश”

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ४ सन् २०१७) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र.-13943-193-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 25 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

### MADHYA PRADESH ACT

No. 25 OF 2017

#### THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 18<sup>th</sup> August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24<sup>th</sup> August, 2017].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2017. Short title.

936(2)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त 2017

**Amendment of Schedule.**

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007),—

(i) for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of Private University	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2.	Rabindranath Tagore University	All India Society for Electronics and Computer Technology.	Registered society under the Madhya Pradesh Society Registrikan Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Rabindranath Tagore University, Village Mendua, Bhopal-Chiklod Road, Tehsil Goharganj, District Raisen (M.P.)	Whole of Madhya Pradesh";

(ii) serial number 22 and entries relating thereto (regarding D. C. University, Indore) shall be omitted;

(iii) after serial number 24 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

S. No.	Name of Private University	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"25.	VIT Bhopal University, Sehore	VIT Trust, 26 Moosa Street, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu.	VIT Trust created under the Trust Deed executed on 20-12-2012 and registered as No. 654/ 2012 at T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu.	VIT Bhopal University, Bhopal-Indore National Highway, Kothri Kalan, Sehore 466114	Whole of Madhya Pradesh.
26.	Sage University, Indore.	Truba Education Society, 250 Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal.	Registered society under the Madhya Pradesh Society Registrikan, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Sage University, Kailod Kartal, Indore-Dewas Bypass, Rau, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.
27.	Renaissance University, Indore.	Kautilya Chandragupt Education Society, Gram Reoti, Sanwer Road, Behind Sri Aurobindo Hospital, Indore	Registered society under the Madhya Pradesh Society Registrikan, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Renaissance University Gram Reoti, Sanwer Road, Behind Sri Aurobindo Hospital, Indore.	Whole of Madhya Pradesh".

**Repeal and saving.** 3. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesha, 2017 (No. 4 of 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 जनवरी 2018—पैम 21, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. 608-9-इकीस-आ (प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 जनवरी, 2018 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१८

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक ४ जनवरी, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में  
दिनांक ११ जनवरी, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के अड्सठवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम। १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१७ है।

अनुसूची का संशोधन। २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक २७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएँ, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
“२८.	मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल।	वंशपति स्मृति शिक्षा समिति, पटेल कालेज परिसर, रातीबड़, भोपाल।	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।	मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड़, भोपाल।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२९.	भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल।	आयुष्मती एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, २०२, गंगा-जमुना काम्पलेबस, एम.पी. नगर, भोपाल।	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।	भाभा विश्वविद्यालय, एन.एच. १२, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३०.	मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, सीहोर।	श्री सांई ग्रामोत्थान समिति, मानसरोवर परिसर, कोलार रोड, भोपाल।	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अव्यापारिक निगम अधिनियम, १९६२ (क्रमांक २० सन् १९६२) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।	मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम रत्नाखेड़ी एवं ग्राम गाडिया, ब्लाक बिल्क्सगंज, सीहोर।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. 608-9-इकीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

## MADHYA PRADESH ACT

NO. 4 OF 2018

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM  
SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 4th January, 2018; assent first published in the 'Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)', dated the 11th January, 2018.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana-Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam; 2017. **Short title.**

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 27 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:— **Amendment of Schedule.**

S. No.	Name of private university (1)	Name of sponsoring body (2)	Mode of forming sponsoring body (3)	Main campus (4)	Jurisdiction (5)	(6)
28.	Madhyanchal Professional University, Bhopal	Vanshpatti Smriti Shiksha Samiti, Patel College Campus, Ratibad, Bhopal	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Madhyanchal Professional University, Ratibad, Bhopal	Whole of Madhya Pradesh	
29.	Bhabha University, Bhopal	Ayushmati Education and Social Society, 202, Ganga Jamuna Complex, M.P. Nagar, Bhopal	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Bhabha University, NH 12, Hoshangabad Road, Jatkedi, Bhopal	Whole of Madhya Pradesh	
30.	Mansarovar Global University, Sehore	Sri Sai Gramothan Samiti, Mansarovar Campus, Kolar Road, Bhopal	Registered Society under the Madhya Pradesh Non- trading Corporations Act, 1962 (No. 20 of 1962)	Mansarovar Global University, Village Ratnakedi and Village Gadia, Block Bilquisganj, Sehore	Whole of Madhya Pradesh.”	

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जून 2018—आषाढ़ 5, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 जून 2018

क्र. 10562-189-इककीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में,  
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) का अंग्रेजी  
अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव,

## MADHYA PRADESH BILL

NO. 8 OF 2018

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM  
SANCHALAN) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2018

**A Bill further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

**Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2018.

**Amendment of Schedule.** 2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 30 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

S. No.	Name of private university (1)	Name of sponsoring body (2)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
"31.	Sardar Patel University, Balaghat.	Vindhya Shiksha Samiti, Sardar Patel Campus, Gaykhuri, Balaghat.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Sardar Patel University, Knowledge City, Dongariya, Waraseoni Road, Balaghat.	Whole of Madhya Pradesh.
32.	Dr. C. V. Raman University, Khandwa.	All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), Bhopal.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Dr. C. V. Raman University, Post-Chhegaon Makhan, Tehsil Khandwa, District Khandwa.	Whole of Madhya Pradesh.
33.	Shri Krishna University, Chhatarpur.	Late Shri Balbeer Singh Gautam Shiksha Prasar Evam Jánkalyan Samiti, Chhatarpur.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Shri Krishna University, Sagar Road, National Highway 86, Village Panchayat Budaur, District Chhatarpur.	Whole of Madhya Pradesh."

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2018

688 (1)

3. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesha, 2018 (No. 10 of 2018) is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Section 5 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), it is provided that the Regulatory Commission constituted under the Act shall evaluate the proposal of establishment of Private University in the State. In the light of the said provision, the Regulatory Commission has recommended to establish the Private Universities, namely, Sardar Patel University, Balaghat, Dr. C. V. Raman University, Khandwa and Shri Krishna University, Chhatarpur. In the light of Section 6 of the said Act, the State Government have issued letters of intent to the sponsoring bodies of the Universities, with regard to establishment of the said Universities. Section 9 of the said Act provides that after being satisfied on considering the report submitted by the Regulatory Commission, Private University shall be established by incorporating the name and description thereof in the Schedule to the Said Act.

2. As the matter was urgent and the Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesha, 2018 (No. 10 of 2018) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature without any modification.

3. Hence this Bill.

BHOPAL :

Dated the 20<sup>th</sup> June, 2018

JAIBHAN SINGH PAWAIYA

*Member-in-charge.*

इसे वेबसाइट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई 2018—श्रावण 6, शक 1940

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. 12532-254-इकीस-अ(प्रा.)अंधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव नपर सचिव।

(उपर्युक्त नाम से आदेश) उपर्युक्त नाम से आदेश (मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेश) विधायी कार्य विभाग  
के उपर्युक्त विधायी विभाग के अधिकारी को निम्नलिखित आदेश दिया जाता है।

विधायी विभाग के अधिकारी को निम्नलिखित आदेश दिया जाता है।

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०१८

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१८

[दिनांक २३ जुलाई, २०१८ को गन्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहरत्वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१८ है।

अनुसूची का  
संशोधन।

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना को पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"३१.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट।	विष्णु शिक्षा समिति, सरदार पटेल केम्पस, गायखूरी, बालाघाट।	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी।	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, नॉलेज सिटी, डोंगरिया, बारासिवनी रोड, बालाघाट।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३२.	डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, छण्डवा।	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसीट), भोपाल।	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी।	डॉ. सी. वी. रमन, विश्वविद्यालय, पोस्ट-छैगांव माखन, तहसील छण्डवा, जिला छण्डवा।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३३.	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर।	स्व. श्री बलबीर सिंह गौतम, शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति, छतरपुर।	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी।	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, नेशनल हाईवे ८६, ग्राम पंचायत बूदीर, जिला छतरपुर।	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।

निरसन तथा व्याप्रवृत्ति।

३. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक १० सन् २०१८) एवं द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. 12532-254-इकोस-अ (प्रा.)-आधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २०१८ (क्रमांक २६ सन् २०१८) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा-आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

### MADHYA PRADESH ACT

NO. 26 OF 2018

#### THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 23rd July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th July, 2018.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2018. Short title.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 30 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:— Amendment of Schedule.

S. No.	Name of private university (1)	Name of sponsoring body (2)	Mode of forming sponsoring body (3)	Main campus (4)	Jurisdiction (5)	
-----------	---	--------------------------------------	---	-----------------------	---------------------	--

"31. Sardar Patel University, Balaghat.	Vindhya Shiksha Samiti, Sardar Patel Campus, Gaykhuri, Balaghat.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Sardar Patel University, Knowledge City, Dongariya, Waraseoni Road, Balaghat.		Whole of Madhya Pradesh.
---	--	---	---	--	--------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	Dr. C. V. Raman University, Khandwa.	All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), Bhopal.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Dr. C. V. Raman University, Post-Chhegaon Makhan, Tehsil Khandwa, District Khandwa.	Whole of Madhya Pradesh.
33.	Shri Krishna University, Chhatarpur.	Late Shri Balbeer Singh Gautam Shiksha Prasar Evarn Jankalyan Samiti, Chhatarpur.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Shri Krishna University, Sagar Road, National Highway 86, Village Panchayat Budaur, District Chhatarpur.	Whole of Madhya Pradesh."

**Repeal and saving.**

3. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesha, 2018 (No. 10 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2019—फालुन 10, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2019

क्र. आर. 39-सीसी-19-अड्टीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) में धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में, उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(6) यदि सभापति (चैयरमेन) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति, चाहे मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण होती है, तो रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी:

परन्तु उच्च शिक्षा विभाग, सभापति (चैयरमेन) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्ति को पूर्ति किसी अहंताधारी व्यक्ति द्वारा अनधिक छह माह की कालावधि के लिये कर सकेगा। उक्त नियुक्ति आगामी छह माह की कालावधि के लिये बढ़ाई जा सकेगी.”।

No. R 39-CC-19-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Niyam, 2008, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, in rule 14, for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(6) If a casual vacancy occurs in the office of the Chairman or Full Time Member or Part-Time Member, whether by reason of death, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled by a fresh appointment :

Provided that the Higher Education Department may fill any casual vacancy of the officer of the Chairman or Full Time member or Part-Time Member by appointing any eligible person for a period of not exceeding six months. The Said appointment may be extended for a period of further six months.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री मिश्रा, अपर सचिव

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2019—श्रावण 23, शक 1941

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13682-225—इककीस—अ(प्रा.)—अधि.— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१६

### मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१६

[दिनांक १३ अगस्त, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १४ अगस्त, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम:

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान—मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१६ है।

संक्षेप नाम:

अनुसूची का २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १० सन् २००७) की अनुसूची में,  
संशोधन अनुक्रमांक ३३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं  
अर्थात् :-

अनुक्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
३४	संजीव अग्रवाल <sup>१</sup> ग्लोबल एजुकेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल.	श्री अग्रवाल <sup>२</sup> एजुकेशनल पब्लिक ट्रस्ट, २५०, सागर प्लाजा, जोन-२ एम.पी.नगर, भोपाल	मध्यप्रदेश पब्लिक, ट्रस्ट अधिनियम, १६१९ (क्रमांक ३० सन् १६१९) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	संजीव अग्रवाल <sup>३</sup> ग्लोबल <sup>४</sup> एजुकेशनल <sup>५</sup> विश्वविद्यालय, कटारा एक्सटेंशन, सहारा बायपास रोड भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
३५	मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर.	सर्वसहारा फाउन्डेशन, एस-१६१/सी सेकंड फ्लॉर, मानक कॉम्प्लेक्स, शकरपुर नई दिल्ली-६२.	कंपनी अधिनियम, १६१६ (१६१६ का १) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी.	मंगलायतन विश्वविद्यालय, एन.एच-१२ ए. शारदा देवी मंदिर के पास रिछाई, बरेला जबलपुर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
३६	आई.इ.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल.	इंफोटेक एज्यूकेशन सोसाइटी, आई.इ.एस. कैम्पस कलखेड़ा रातीबड़ मेन रोड, भोपाल.	म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १६७३ (क्रमांक ४४ सन् १६७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	आई.इ.एस. विश्वविद्यालय आई.इ.एस. कैम्पस, कलखेड़ा रातीबड़, मेन रोड भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
३७	सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन.	गुरु हरगोविंद सोसाइटी, १३, लाला लाजपत राय कॉलोनी, रायसेन रोड, भोपाल.	म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १६७३ (क्रमांक ४४ १६७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम अगारिया चौपड़ा, जिला रायसेन.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13682-225-इकीस-अ (प्रा.)—अधि.— भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव,

**MADHYA PRADESH ACT****NO. 11 OF 2019****THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2019**

[Received the assent of the Governor on the 13<sup>th</sup> August, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14<sup>th</sup> August, 2019.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2019. Short title.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 33 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:- Amendment of Schedule.

S.No.	Name of Private university (1)	Name of Sponsoring body (2)	Mode of forming Sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
"34.	Sanjeev Agrawal Global Educational University, Bhopal.	Shri Agrawal Educational Public Trust, 250, Sagar Plaza, Zone-2 M.P. Nagar, Bhopal.	Public Trust, registered under the Madhya Pradesh Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951)	Sanjeev Agrawal Global Educational University, Katara Extension, Sahara Bypass Road, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
35.	Mangalayatan University, Jabalpur.	Sarvsahara Foundation, S-191/C 2nd Floor, Manak Complex,	Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of	Mangalayatan University, NH-12 A, Near Sharda Devi Mandir Richai,	Whole of Madhya Pradesh.

694 (2)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Shakarpur, New Delhi-92.	1956).		Barela, Jabalpur.
36.	I.E.S University, Bhopal.	Infotech Education Society I.E.S. Campus, Kalkheda Ratibad Main Road, Bhopal.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	I.E.S University, I.E.S. Campus Kalkheda Ratibad Main Road, Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
37.	Sam Global University, Raisen.	Guru Hargovind Society, 13, Lala Lajpat Rai Colony, Raisen Road, Bhopal.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Sam Global University, Village Agariya Chopda, District Raisen.	Whole of Madhya Pradesh.;

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13683-224-इकीस-अ(प्रा)-अधि— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०१६

### मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[ दिनांक १३ अगस्त, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १४ अगस्त, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई। ]

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2019.